



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022 ई0

पौष 02, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 362/XXXVI(3)/2022/71(1)/2022

देहरादून, 23 दिसम्बर, 2022

### अधिसूचना

### विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022’ पर दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 18, वर्ष- 2022 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।



## उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2022)

उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

## अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

|                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| धारा 1 का संशोधन          | 2. | उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :-<br>(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 है।"                                                                                                                                                                                    |
| धारा 2 का संशोधन          | 3. | मूल अधिनियम की धारा 2 में—<br>(i) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिये जायेगा, अर्थात्: —<br>(गग) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है ;<br>(ii) खण्ड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्: —<br>(ण) "स्थानीय क्षेत्रीय योजना" से, इस अधिनियम की धारा 9—क के अन्तर्गत बनाई गयी योजना अभिप्रेत है ;<br>(त) "नगर नियोजन योजना" से, इस अधिनियम की धारा 9—क के अन्तर्गत बनाई गयी योजना अभिप्रेत है ;                                            |
| धारा 4 का संशोधन          | 4. | मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2—क)(1) के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्: —<br>"(घघ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक एक संयुक्त मुख्य प्रशासक" जो कि राज्य सरकार के उप सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न न हो।                                                                                                                                                                                                                                                 |
| धारा 5 का संशोधन          | 5. | मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1), (2) एवं (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात्:—<br>"(1) धारा 4 की उपधारा (2—क) में उपबन्धित राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, संयुक्त मुख्य प्रशासक और वित्त नियंत्रक के रूप में राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाय अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किया जाय। |



|                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |    | <p>(2) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन जैसा राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अथवा अपर मुख्य प्रशासक अथवा संयुक्त मुख्य प्रशासक, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को, जैसा वह उसके कृत्यों के दक्ष सम्पादन के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेंगे और उनके पद तथा वेतनमान अवधारित कर सकेंगे।</p> <p>(3) प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, संयुक्त मुख्य प्रशासक, वित्त नियंत्रक, और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी वेतन और भत्तों को राज्य विकास प्राधिकरण की निधि से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गये विनियमों द्वारा अवधारित वेतन, भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्तों से आच्छादित होंगे।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अध्याय-3 के शीर्षक का संशोधन | 6. | <p>मूल अधिनियम के अध्याय 3 के शीर्षक को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-</p> <p>"महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना, स्थानीय क्षेत्रीय योजना एवं नगर नियोजन योजना "</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नई धारा 9-क का अन्तःस्थापन   | 7. | <p>मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :-</p> <p>"9-क स्थानीय क्षेत्रीय योजना" एवं "नगर नियोजन योजना" :-</p> <p>(1) स्थानीय विकास प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय क्षेत्रीय योजना अथवा नगर नियोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन से एक अथवा अधिक स्थानीय क्षेत्र योजना अथवा नगर नियोजन योजना बना सकेगा।</p> <p>(2) इस प्रकार बनाई गयी स्थानीय क्षेत्रीय योजना अथवा नगर नियोजन योजना का परीक्षण राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और राज्य प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। इन योजनाओं की निगरानी एवं पर्यवेक्षण, राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। राज्य प्राधिकरण, आवश्यकतानुसार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का सहयोग ले सकता है।</p> <p>(3) यदि कोई क्षेत्र, जो स्थानीय प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है, तथा वहाँ स्थानीय क्षेत्रीय योजना अथवा नगर नियोजन योजना तैयार एवं क्रियान्वित की जानी है, तो उक्त क्षेत्र को राज्य सरकार स्वयंमेव अथवा राज्य प्राधिकरण की संस्तुति के अनुक्रम में स्थानीय क्षेत्रीय योजना या नगर नियोजन योजना के उद्देश्य एवं क्रियान्वयन हेतु स्थानीय प्राधिकरण का विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगा :</p> <p>परन्तु, राज्य सरकार, स्थानीय क्षेत्रीय योजना अथवा नगर नियोजन योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन इत्यादि राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण से इतर किसी अन्य अभिकरण अथवा विभाग से भी करा सकती है।</p> |



|                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |                                      |              |                                    |               |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
|                                      |               | (4) इस अधिनियम के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, स्थानीय क्षेत्रीय योजना अथवा नगर नियोजन योजना तत्समय प्रचलित महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना पर अधिभावी होगी।"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |             |                                      |              |                                    |               |
| धारा 10 का संशोधन                    | 8.            | <p>मूल अधिनियम के धारा 10 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :-</p> <p>"(2) प्रत्येक योजना तैयार किए जाने के पश्चात् नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण, उसे (योजना को) अनिवार्यतः राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जिसे राज्य प्राधिकरण अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार या तो योजना को बिना किसी परिवर्द्धन के अथवा ऐसे परिवर्द्धन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी अथवा राज्य प्राधिकरण को निर्देशों के अनुसार नई योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए योजना को अस्वीकृत कर सकेगी।"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |             |                                      |              |                                    |               |
| धारा 13 का संशोधन                    | 9.            | <p>मूल अधिनियम के धारा 13 की उपधारा (2) एवं (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :-</p> <p>(2) राज्य सरकार महायोजना या आंचलिक विकास योजना या स्थानीय क्षेत्रीय योजना या नगर नियोजन योजना में संशोधन कर सकेगी चाहे ऐसी योजना उपधारा(1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की हो या न हो।</p> <p>(6) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित किसी अन्य अभिकरण द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधन ऐसे संशोधन हैं, जो योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं या क्या वे भूमि प्रयोग की सीमा अथवा जनसंख्या घनत्व के मापदण्ड से सम्बन्धित हैं, तो राज्य प्राधिकरण द्वारा इसे राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।"</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |             |                                      |              |                                    |               |
| धारा 26 का संशोधन जुर्माना           | 10.           | <p>मूल अधिनियम की धारा 26 में शीर्षक सहित उपधारा (1), (2) एवं (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित कर दी जायेंगी अर्थात् :-</p> <p>"(1) कोई व्यक्ति, जो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी निकाय (सरकारी विभाग सहित) के अनुरोध पर, किसी भूमि का विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना या स्थानीय क्षेत्रीय योजना या नगर नियोजन योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन अथवा मंजूरी के बिना या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में, जिसके अधीन रहते हुए ऐसी अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, करता है या कार्यान्वित करता है, तो उस पर निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा:-</p> <table><tr><td>(1) प्रथम बार उक्त कृत्य करने पर -</td><td>रु० 5000.00</td></tr><tr><td>(2) द्वितीय बार उक्त कृत्य करने पर -</td><td>रु० 10000.00</td></tr><tr><td>(3) तृतीय बार उक्त कृत्य करने पर -</td><td>रु० 20,000.00</td></tr></table> <p>उक्त कृत्य के अग्रेतर जारी रहने की दशा में अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि ऐसी होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।</p> | (1) प्रथम बार उक्त कृत्य करने पर - | रु० 5000.00 | (2) द्वितीय बार उक्त कृत्य करने पर - | रु० 10000.00 | (3) तृतीय बार उक्त कृत्य करने पर - | रु० 20,000.00 |
| (1) प्रथम बार उक्त कृत्य करने पर -   | रु० 5000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |                                      |              |                                    |               |
| (2) द्वितीय बार उक्त कृत्य करने पर - | रु० 10000.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |                                      |              |                                    |               |
| (3) तृतीय बार उक्त कृत्य करने पर -   | रु० 20,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |                                      |              |                                    |               |



|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |     | <p>(2) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन का प्रयोग धारा 16 के उपबन्धों के उल्लंघन में करता है, तो उस पर निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा:-</p> <p>(1) प्रथम बार उक्त कृत्य करने पर - रू० 5000.00</p> <p>(2) द्वितीय बार उक्त कृत्य करने पर - रू० 10000.00</p> <p>(3) तृतीय बार उक्त कृत्य करने पर - रू० 20,000.00</p> <p>उक्त कृत्य के अग्रेत्तर जारी रहने की दशा में अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि ऐसी होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति, जो धारा 25 के अधीन भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत, व्यक्ति के प्रवेश में बाधा डालता है या ऐसे प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को तंग करता है, तो उस पर निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा:-</p> <p>(1) प्रथम बार उक्त कृत्य करने पर - रू० 5000.00</p> <p>(2) द्वितीय बार उक्त कृत्य करने पर - रू० 10000.00</p> <p>(3) तृतीय बार उक्त कृत्य करने पर - रू० 20,000.00</p> <p>उक्त कृत्य के अग्रेत्तर जारी रहने की दशा में अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि ऐसी होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| धारा 26क का संशोधन | 11. | <p>मूल अधिनियम की धारा 26क की उपधारा (1) एवं (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-</p> <p>"(1) यदि कोई व्यक्ति, किसी सार्वजनिक सड़क मार्ग पर, नाली पर कार्य करने के सिवाय विकास क्षेत्र में किसी भूमि पर, जो व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि प्राधिकरण से सम्बन्धित हो या न हो या विकास क्षेत्र में निहित हो या न हो, पर अतिक्रमण अथवा अवरोध उत्पन्न करता है, तो वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगा अथवा जुर्माने से जो रू० 20,000.00 तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।</p> <p>"(3) जो कोई, किसी सार्वजनिक सड़क मार्ग पर, नाली पर कार्य करने या सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर ढेर लगाने के शुल्क के भुगतान पर, ऐसी अवधि के दौरान, जैसे अनुमति दी गयी हो, भवन सामग्री रखने के सिवाय, विकास क्षेत्र में किसी सड़क या भूमि में, जो व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी सड़क या भूमि, प्राधिकरण की हो या न हो अथवा प्राधिकरण में निहित हो या न हो, ढेर लगाता है, तो उस पर निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा:-</p> <p>(1) प्रथम बार उक्त कृत्य करने पर- रू० 5,000.00</p> <p>(2) द्वितीय बार उक्त कृत्य करने पर-रू० 10,000.00</p> <p>(3) तृतीय बार उक्त कृत्य करने पर- रू० 20,000.00</p> <p>उक्त कृत्य के अग्रेत्तर जारी रहने की दशा में अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि ऐसी होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।</p> |



|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>धारा 26<br/>घ का<br/>संशोधन<br/>"अतिक्रमण<br/>निवारित<br/>न करने<br/>के लिए<br/>जुर्माना"</p> | <p>12. मूल अधिनियम की धारा 26घ के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी अर्थात् :-</p> <p>"(26)(घ)(1) जो कोई, जिसको विशेष रूप से इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम या नियमावली अथवा उपविधि के अधीन अतिक्रमण या अवरोध को रोकने या निवारित करने का कर्तव्य न्यस्त किया गया हो, ऐसे अतिक्रमण या अवरोध को रोकने या निवारित करने की स्वेच्छया जानबूझकर उपेक्षा करता है अथवा जानबूझकर लोप करता है, उस पर निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा:-</p> <p>(1) प्रथम बार उक्त कृत्य करने पर - रू० 10,000.00<br/>(2) द्वितीय बार उक्त कृत्य करने पर - रू० 20,000.00<br/>(3) तृतीय बार उक्त कृत्य करने पर - रू० 30,000.00</p> <p>उक्त कृत्य के अग्रेत्तर जारी रहने की दशा में अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि ऐसी होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।</p> <p>(2) कर्तव्य न्यस्त व्यक्ति पर उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (यथा समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अधीन विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।"</p>                                                                                                                                                            |
| <p>नई धारा<br/>32-क<br/>अंतःस्थापन<br/>"कृत्यों का<br/>शमन"</p>                                  | <p>13. मूल अधिनियम की धारा 32 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :-</p> <p>32.क (1) इस अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1), (2), (3) एवं धारा 26क की उपधारा (3) के अधीन कारित कृत्य का शमन संबंधित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा।</p> <p>(2) उपाध्यक्ष द्वारा पारित शमन आदेश के विरुद्ध सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष के समक्ष तीस दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। आयुक्त/अध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा अपील में पारित आदेश अंतिम होगा।</p> <p>(3) इस अधिनियम की धारा 26 घ के अधीन कारित कृत्य का शमन, सम्बन्धित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा।</p> <p>(4) उपधारा (3) के अधीन उपाध्यक्ष द्वारा पारित शमन आदेश के विरुद्ध सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष के समक्ष अपील तीस दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी, यदि उपाध्यक्ष, सम्बन्धित व्यक्ति का नियुक्त प्राधिकारी हो अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी को की जा सकेगी। अपील में पारित आदेश अंतिम होगा।</p> <p>(5) शमन आदेश में निर्धारित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भौति की जा सकेगी।</p> <p>(6) शमन आदेश, सूचना प्राप्त होने के 15 दिन में तथा शमन आदेश के विरुद्ध प्राप्त अपील का निस्तारण 30 दिन में अनिवार्य रूप से किया जायेगा।</p> |



|                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धारा 48<br>का<br>संशोधन | 14. | मूल अधिनियम की धारा 48 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :-<br>प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम की धारा 26क की उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| धारा 51<br>का<br>संशोधन | 15. | मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (2) एवं (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :-<br>"(2) राज्य प्राधिकरण, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकेगा कि विनियम या उपविधि बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति का प्रयोग ऐसे अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भी ऐसे मामलों में एवं ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन किया जाए, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।<br>(4) राज्य प्राधिकरण का मुख्य प्रशासक इस अधिनियम के अधीन प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति को साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, अपर मुख्य प्रशासक अथवा संयुक्त मुख्य प्रशासक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी प्रयोग में लाये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा।" |
| धारा 55<br>का<br>संशोधन | 16. | मूल अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :-<br>"(2क) (एक) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा स्थानीय क्षेत्र योजना और/या नगर नियोजन योजना तैयार, क्रियान्वयन एवं निष्पादन हेतु नियम बना सकेगी।<br>(दो) राज्य प्राधिकरण समय-समय पर अधिसूचना द्वारा स्थानीय क्षेत्र योजना और/या नगर नियोजन योजना को तैयार, क्रियान्वयन हेतु विनियम बना सकेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| धारा 56<br>का<br>संशोधन | 17. | मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (खख) एवं (गग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात् :-<br>"(खख) राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, संयुक्त मुख्य प्रशासक, और वित्त नियंत्रक की शक्तियाँ और कर्तव्य ;<br>(गग) राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, संयुक्त मुख्य प्रशासक, वित्त नियंत्रक, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी का वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें।"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,  
प्रमुख सचिव।



### उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शहरीकरण की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए सुनियोजित विकास की परिकल्पना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु राज्य सरकार इस दिशा में गम्भीरता से कार्यवाही कर रही है। सुनियोजित विकास को सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। सुनियोजित विकास की इस प्रक्रिया में प्राधिकरण तथा आमजन के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना अपरिहार्य है तथा समावेशी विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक भी है। जनहित को सर्वोपरि रखते हुए, आमजन की सुविधा एवं हितों में सन्तुलन स्थापित करने, सुनियोजित विकास हेतु स्थानीय क्षेत्रीय योजना एवं नगर नियोजन योजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित किये जाने, भवन निर्माणकर्त्ता द्वारा निर्माण की प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक मार्गों/स्थलों पर अतिक्रमण किये जाने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने, प्राधिकरण के कार्मिकों को अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ किये जाने हेतु प्रेरित किये जाने के उद्देश्य से विधेयक पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित विधेयक में उपरोक्त सभी बातों का समावेश किया गया है।
3. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

प्रेम चन्द अग्रवाल  
मंत्री।